



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 10,000/-रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0स0-2169/14 धारा-18/22 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सचिन कुमार उर्फ भूरा पुत्र अवधेश कुमार मिश्रा निवासी-ग्राम मिहुना थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी प्रवीण
कुमार भदौरिया



विवेचक-
उम्मेद सिंह
यादव



पैरोकार
थाना - सुमेरपुर
ज्ञानेन्द्र सिंह